BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website-www.biadabihar.in, Email-biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675991/2675002

अधिसूचना

औद्योगिक क्षेत्रों में बंद एवं अकार्यरत इकाईयों के लिए बियाडा एक्जिट पॉलिसी – 2023

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 86वीं बैठक दिनांक 08.08.2023 के कार्यावली संख्या 5 में बियाडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में बंद पड़ी इकाइयों की भूमि का उपयोग करने की दृष्टि से Exit Policy 2023 लाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत उद्यमी बियाडा द्वारा आवंटित भू–खंड अथवा उसका अंश बियाडा को वापस कर सकते हैं।

1. एक्जिट पॉलिसी के तहत पात्र इकाई :–

i. ऐसे सभी इकाई जिनका वर्तमान में आवंटन वैद्य है।

ii. ऐसे सभी इकाई जिनका आवंटन रद्द है एवं अपील अवधि समाप्त नहीं हुई है।

iii. ऐसे सभी इकाई जिन्होने आवंटन रद्दीकरण के विरूद्व अपील दायर किया है वे अपीलीय प्राधिकार की अनुमति से अथवा अपील Withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते है।

iv. ऐसे सभी इकाई जिसका आवंटन रद्द हो चुका है परन्तु Possession बियाडा द्वारा नहीं लिया गया है।

v. ऐसे इकाई जिसका आवंटन रद्द होने के पश्चात किसी अन्य को पुनः आवंटित कर तृतीय पक्ष का हित प्रतिस्थापित नहीं हुआ हो।

vi. ऐसे इकाई जिनका मामला आवंटन रद्दीकरण के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा जिनमें बियाडा द्वारा दखल कब्जा नहीं लिया गया है अथवा उनपर third party interest create नहीं हुआ है, वे माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति से रिट याचिका Withdraw करके इस नीति का लाभ उठा सकते है।

10/8/23

उपरोक्त सभी मामलों में आवंटन/लीज की अवधि आवेदन की तिथि को बरकरार होना आवश्यक है।

2. <u>वैसी इकाइयाँ जिनपर यह नीति लागू नहीं होगी :–</u>

i. जिनके आवंटन/लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है।

ii. जिनका Possession बियाडा द्वारा ले लिया गया है।

iii. जिनका आवंटन रद्द होने के उपरान्त भूमि तृतीय पक्ष को आवंटित कर दिया गया है।

iv. जिनपर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश से प्रभावी है।

3. <u>नीति कार्यान्वयन</u>

जिस उद्यमी के द्वारा भूखण्ड अथवा उसका अंश वापस किया जा रहा है उसे उस भूखण्ड के वर्तमान बियाडा दर (भूवापसी के आवेदन की तिथि को) के आधार पर उनके द्वारा उपयोग की गई लीज/आवंटन अवधि की अनुपातिक कटौती कर शेष राशि से 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु कटौती की जायेगी, जिसपर 18% GST देय होगा। इसके अलावा अगर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/बिजली वितरण कम्पनी/सरकार के किसी अन्य विभाग या बियाडा का बकाया हो तो कंडिका 6 एवं 7 के अनुसार उसकी भी कटौती करने के उपरांत ही शेष राशि उद्यमी को भुगतान की जायेगी।

4. इस Exit Policy का लाभ लेने वाले इच्छुक इकाइयों को निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित करना होगाः–

i. इकाई के निबंधित लीज डीड एवं आवंटन–पत्र की मूल प्रति।

ii. वित्तीय संस्थान/बैंक का अनापति/बकाया रहित प्रमाण पत्र।

iii. विद्युत वितरण कंपनी का उक्त इकाई पर विद्युत बकाया रहित प्रमाण/अद्यतन विद्युत विपत्र।

iv. इस आशय का शपथ–पत्र की इकाई पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैकों/ विद्युत वितरण कंपनी एवं सरकार के किसी अन्य विभाग का बकाया नहीं हैं।

v. इस योजना के अर्न्तगत इकाई के आवेदन स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अंदर संयंत्र (यदि हो तो) इकाई द्वारा स्थल से हटा लिया जाएगा।

Rajiv

5. इस Exit Policy के अर्तगत प्राप्त सभी आवेदनो की समीक्षा बियाडा द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी जिस पर प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. भूमि वापसी के बाद इकाई को राशि भुगतान करते समय उपरोक्त के अनुसार सभी प्रकार के बकाये और बियाडा का बकाया, कोई हो तो कटौती करने के बाद ही शेष राशि भुगतान की जायेगी।

7. अगर आवंटित भूखण्ड पर किसी प्रकार की संरचना अथवा शेड निर्मित है एवं अच्छी स्थिति में है तो इसका मूल्यांकन संयुक्त रूप से करते हुए मूल्यांकन की फीस तथा 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौति कर शेष राशि इकाई को देय होगी। ऐसे मामलों में इस राशि को वापस करते समय ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बकायों को सामंजित किया जायेगा। ऐसे मामलों में मूल्यांकन के आधार पर नये आवंटी से उसकी राशि वसूल कर नये आवंटी को उन संरचनाओं के उपयोग की अनुमति बियाडा द्वारा दी जा सकेगी।

8. आवंटी द्वारा तीन माह के अंदर भू–खंड पर स्थित संयंत्र नहीं हटाने की स्थिति में उसे नीलाम कर नीलाम की राशि जब्त कर ली जाएगी।

9. यह नीति उन मामलों में भी लागू होगी जो कंडिका 1 के तहत आते हों परंतु उद्यमी पूरी भूमि को वापस करने के बजाये उसका अंश वापस करना चाहता हो एवं शेष भूमि पर बियाडा द्वारा निर्धारित अवधि (जो उद्यमी के द्वारा शपथ पत्र पर दिया जायेगा) में उद्योग स्थापित/पुनः आरंभ करना चाहता हो।

10. इस योजना का लाभ देने पर प्रबंध निदेशक, बियाडा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

11. इस Exit Policy के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2023 तक है।

यह नीति, निर्गत की तिथि से लागू होगा।

निदेशक पर्षद का निर्णय दिनांक 08.08.23

Rajiv

ह0/–
कार्यकारी निदेशक–ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना।

1018

22

ज्ञापांक 5128/Estt दिनांक 10/08/23

प्रतिलिपिः—संयुक्त प्रबंध निदेशक, बियाडा/कार्यकारी निदेशक—नॉर्थ, साउथ, प्रोजेक्ट, निवेश प्रोत्साहन/विधि सलाहकार, बियाडा/सभी उप महाप्रबंधक, बियाडा/आई0टी0 शाखा, बियाडा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/23

कार्यकारी निदेशक—ऑपरेशन्स
बियाडा, पटना।